प्रेस नोट

थाना-कुडवार दिनांक-22.12.2020

लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न करने वाले शातिर अपराधी के विरुद्ध जनपद-सुलतानपुर पुलिस द्वारा की गयी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980(NSA) की कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद-सुलतानपुर के निर्देशन में चलाये जा रहे अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कुडवार में पंजीकृत मु0अ0सं0- 305/2020 धारा 147/148/149/302/307/504/506/435 भा0द0वि व 07 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, से सम्बन्धित अभियुक्त इकबाल उर्फ बालू पुत्र जाकिर हुसैन उर्फ जक्कू निवासी ग्राम मनियारपुर थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर जो कि वर्तमान समय में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध है के विरुद्ध सुलतानपुर पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980 के तहत कार्यवाही की गयी।

थाना कुड़वार में स्थित महराजगंज बाजार में दिनांक-17.06.2020 को वर्चस्व को लेकर इकबाल उर्फ बालू पुत्र जाकिर हुसैन उर्फ जक्कू आदि निवासी ग्राम मनियारपुर थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर द्वारा भरी बाजार में प्रातः 08.30 बजे ग्राम प्रधान महराजगंज के प्रधान प्रतिनिधि/पति मैनुद्दीन पुत्र मो0 रमजान व उसके भाई नूरूद्दीन पुत्र मो0 रमजान को गोली मार दी गयी थी दौरान इलाज मैनुद्दीन की मृत्यु हो गयी थी व नुरूद्दीन गम्भीर रूप से घायल हो गया था।

अभियुक्त के इस दुस्साहसिक कृत्य से आम जनमानस मे भय एवं आतंक का माहौल ब्याप्त हो गया। लोगों ने अपने घरों के दरवाजे डर के कारण बंद कर लिए थे, जन सामान्य अत्यंत अस्त-व्यस्त हो गया था। इस दुस्साहसिक घटना में लोग डरे सहमे थे, जिससे कानून एवं शान्ति व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गई थी तथा लोक व्यवस्था प्रतिकूलतः प्रभावित हुई थी।

मौके पर शांति व्यवस्था बहाल करने हेतु एवं घटना में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद-सुलतानपुर द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर महोदय तथा थानाध्यक्ष कुडवार के नेतृत्व मे एक सशक्त पुलिस टीम गठित कर गिरफ्तार कर दिनांक -19.06.2020 को जेल भेजा गया था। क्षेत्र में भय व आतंक व्याप्त होने पर दिनांक- 30.09.2020 को थाना स्थानीय पर अभियुक्त गणो के विरुद्ध गैगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। अभियुक्त इकबाल उर्फ बालू के विरूद्ध दिनांक-15.12.2020 को रासुका की कार्यवाही करते हुये अभियुक्त इकबाल उर्फ बालू जो वर्तमान समय में जिला कारागार सुलतानपुर मे निरूद्ध है से तामिला कराते हुये आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी। अभियुक्त इकबाल उर्फ बालू के विरूद्ध रासुका कार्यवाही होने से क्षेत्र की आम जनमानस व पीड़ित परिवार अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे है।

अभियुक्त इकबाल उर्फ बालू उपरोक्त द्वारा पुनः इसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाने की प्रबल सम्भावना है। जिससे लोक व्यवस्था के अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो निश्चित ही थाना कुडवार क्षेत्र में बड़ी मशक्कत कर स्थापित की गई लोकव्यवस्था को अभियुक्त द्वारा पुनः छिन्न-भिन्न करने से आम जनमानस पुनः संकटापन्न हो जाता इसलिये अभियुक्त इकबाल उर्फ बालू पुत्र जाकिर हुसैन उर्फ जक्कू निवासी ग्राम मनियारपुर थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980(NSA) की धारा 3(2) के अंतर्गत निरूद्ध करने हेतु निरोधक कार्यवाही अमल में लाई गयी।

अपराधिक इतिहास इकबाल हुसैन उर्फ बालू पुत्र जाकिर हुसैन उर्फ जक्कू निवासी ग्राम- मनियारपुर थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर

क्र0सं0 मु0अ0सं0 धारा बनाम

1 230/15 452/323/504/506 भा0द0वि0 इकबाल हुसैन उर्फ बालू पुत्र जाकिर हुसैन उर्फ जक्कू ग्राम- मनियारपुर थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर

2 299/15 110 जी द0प्र0सं इकबाल हुसैन उर्फ बालू पुत्र जाकिर हुसैन उर्फ जक्कू ग्राम- मनियारपुर थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर

3 315/18 147/452/323/504/506 भा0द0वि0 इकबाल हुसैन उर्फ बालू पुत्र जाकिर हुसैन उर्फ जक्कू ग्राम- मनियारपुर थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर

4 305/2020 147/148/149/302/307/323/504/506/435 IPC व 7 C.L.A. Act इकबाल हुसैन उर्फ बालू पुत्र जाकिर हुसैन उर्फ जक्कू ग्राम- मनियारपुर थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर

5 311/2020 27/30 आर्म्स एक्ट इकबाल हुसैन उर्फ बालू पुत्र जाकिर हुसैन उर्फ जक्कू ग्राम- मनियारपुर थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर

6 510/20 2/3(1) गैगेस्टर एक्ट इकबाल हुसैन उर्फ बालू पुत्र जाकिर हुसैन उर्फ जक्कू ग्राम- मनियारपुर थाना कुड़वार जनपद सुलतानपुर